

मुख्यमंत्री भजनलाल ने निर्देश दिये: पाक नागरिकों के वीज़ा निरस्त करें

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से वार्ता में गृह मंत्रालय के निर्देशों की पूरी पालना पर जोर दिया

जयपुर, 25 अप्रेल। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता के पश्चात, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्र द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आश्चस्त किया कि पाकिस्तान नागरिकों के वीज़ा के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों का राज्य में कठोरता से पालना की जाएगी।

जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक जी.सी. के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सार्क वीज़ा, शनिवार 26 अप्रैल से, एवं दीर्घकालिक वीज़ा, राजनयिक और आधिकारिक वीज़ा को छोड़कर, सभी मौजूदा वैध वीज़ा रविवार 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

■ **मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।**

इस क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने शुक्रवार को सचिवालय में सम्बंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, सी.आई.डी. सुरक्षा पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल, गृह विभाग की शासन उप सचिव सोविला माथुर, राजेश जैन, समस्त पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। सभी

मेडिकल वीज़ा 29 अप्रैल, 2025 तक ही वैध रहेंगे। पाकिस्तानी नागरिकों का निष्कासन अटारी बॉर्डर से किया जाना है।

एसीएस (होम) ने संबंधित पुलिस अधीक्षकों एवं एफ.आर.ओ को निर्देश दिए कि ऐसे पाक नागरिक, जो लॉग टर्म वीज़ा के अतिरिक्त अन्य वीज़ा पर राज्य में निवासरत हैं, उनके निष्कासन की कार्यवाही गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में वर्णित समय सीमा के अनुसार की

जाये।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पिछले बुधवार को कानून व्यवस्था के सम्बंध में ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार, पुलिस और प्रशासनिक

अधिकारियों द्वारा राज्य में पूर्ण चौकसी रखने, आमजन और पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने, सोशल मीडिया पर निगाह रखने की अक्षरशः पालना के भी निर्देश दिए गए।

भारत अब...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिनमें इस निर्णय के क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाली कानूनी चुनौतियाँ भी शामिल हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने इन गतिविधियों पर बड़ी सख्त प्रतिक्रिया दी है। “पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी” ने कहा है कि “भारत द्वारा सिन्धु जल को रोकने या उसका रास्ता बदलने के किसी भी प्रयास को “युद्ध की कार्यवाही” माना जायेगा।” सन् 1960 में हुए समझौते को उसके 24 करोड़ नागरिकों की “लाइफलाइन” बताते हुये, इस्लामाबाद ने जोर देते हुये कहा कि इस समझौते को एकतरफा रूप से स्थगित नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद ने बदले की कार्यवाही की चेतावनी दी है।

सेना प्रमुख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गोलीबारी हुई। सेना प्रमुख श्रीनगर में व्यापक सुरक्षा समीक्षा भी करेंगे। उनके पहलगाम के पास बैसरन क्षेत्र का दौरा करने की भी संभावना है, जहाँ पर्यटकों पर हमला हुआ था। वह हमलावरों का पता लगाने के लिए मंगलवार को शुरू किए गए अभियान की समीक्षा भी करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांधी भी “आपका वफादार सेवक” जैसे शब्दों का प्रयोग किया करते थे? क्या उन्हें (राहुल) मालूम है कि उनकी दादी ने इस स्वतंत्रता सेनानी को पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की थी? उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदार बयान मत देने दीजिये। आप स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास-भूताना जाने बिना इस प्रकार के बयान नहीं दे सकते।”

अदालत उस याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायक दामोदर सायकर के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिये एक संदिग्ध वस्तुएं मिली। किये गये सम्मनों को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुभाष विद्याशी ने गांधी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था तथा कहा था कि गांधी के पास उच्च न्यायालय में आने के बजाय, को ऑफ क्रिमिनल प्रॉसिजर की धारा 397 (रिब्यू ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ लोअर कोर्ट) के तहत, सत्र न्यायालय जाने का विकल्प है।

सत्र न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली थी, तथा उसे अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस भेज दिया था, जिसने गांधी को सम्मन जारी किये थे।

अपने आदेश में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि गांधी ने कहा है कि सावरकर एक “ब्रिटिश सर्वेंट” थे, जिन्हें पेशना मिलती थी।

नाबालिग छात्रा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पड़ोसी के फोन से अभियुक्त को फोन किया था और उसके बाद से उसकी बेटी का कोई पता नहीं है। इसके अलावा, अभियुक्त को नंबर भी बंद आ रहा है। अभियुक्त उसकी बेटी को बहलाकर ले गया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जांच में पता चला कि आरोपी, पीड़िता को गाजियाबाद, दिल्ली और गोवा सहित अन्य जगहों पर ले गया था और वहां पर उसके साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया।

ईरान और सऊदी अरब ने भारत -पाक के बीच मध्यस्थता की पेशकश की

■ **सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भारत व पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से बात की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसकी पुष्टि की।**

ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ईरान के पड़ोसी हैं। दोनों ही देशों के साथ ईरान के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। ईरान पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों को अपनी प्राथमिकता मानता है। भारत और पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल वक्त में हैं। ईरान इस मुश्किल समय में दोनों देशों के बीच समझ बढ़ाने के लिए तैयार है।

सैयद अब्बास अराघची ने फारसी

‘हम तीन दशक से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, “हम भारत द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का जवाब नाप तोल कर देंगे। अगर कोई पूर्ण हमला होता है, तो स्पष्ट है कि इसका उत्तर भी पूर्ण युद्ध होगा।” उन्होंने आगे कहा, “अगर चीजें गलत दिशा में गईं, तो इस टकराव का दुखद परिणाम हो सकता है।”

जब भारत उसका कि दुनिया को चिंतित होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया: “हाँ, मुझे ऐसा लगता है। दो परमाणु शक्तिों के बीच टकराव हमेशा चिंता का विषय होता है।”

बिना किसी संवृत के, उन्होंने भारत पर पहलगाम हमले को “स्टेज” करने का आरोप लगाया और देश में चल रही इन अटकलों को बल दिया कि यह कदम शायद आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार की गिरती साख को बचाने के लिए उठाया गया हो।

उन्होंने दावा किया, “हम यह समझ सकते हैं कि यह पूरी घटना किसी प्रकार

के क्षेत्रीय संकट को पैदा करने के लिए रची गई थी, विशेष रूप से हमारे खिलाफ।”

जब उनसे पूछा गया कि उनका क्या मतलब है, तो आसिफ ने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारी सरकार भी, पिछले दो दिनों में इस घटना की बिना शर्त कड़ी निंदा कर चुकी है कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।”

जब उनसे सीधा पूछा गया कि क्या वे भारत को दोषी ठहरा रहे हैं, तो आसिफ ने जवाब दिया: “हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, वे खुद ही ऐसी स्थितियाँ बनाते हैं।”

पाक नागरिकों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर उनसे अपने-अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देने को कहा था।

बीएसएफ जवान को छोड़ने से इन्कार कर रहे हैं पाक रेंजर्स

चंडीगढ़ , 25 अप्रैल। पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर गलती से सरहद लांच कर पड़ोसी मुल्क की सीमा से पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़े गए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवान को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ कांस्टेबल पीके सिंह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच दो बार फ्लैग मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन दोनों बार

■ **गलती से सीमा पार गया बीएसएफ का जवान 48 घंटे से पाक रेंजर्स की गिरफ्त में है। बीएसएफ तथा पाक रेंजर्स की फ्लैग मीटिंग भी हुई है पर नतीजा नहीं निकला।**

मीटिंग बेनतीजा रही। बीएसएफ अधिकारियों को पाकिस्तान की हिरासत में कांस्टेबल पीके सिंह की चिंता सता रही है। यह भी चिंता हो रही है कि पाकिस्तानी सेना बीएसएफ जवान के साथ किस तरह का सलूक कर रही होगी। 48 घंटे का समय बहुत ज्यादा होता है। इससे पहले जब कभी भी गलती से कोई जवान एक-दूसरे मुल्क की सीमा में आता या जाता था तो उसे तुरन्त मीटिंग के बाद वापस लौटा दिया जाता था। कई बार तो दोनों देशों के नागरिकों को भी इसी तरह सुरक्षित लौटाया गया है।

राजा इकबाल दिल्ली के नए मेयर निर्वाचित

डिप्टी मेयर के पद पर जय भगवान यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल। भाजपा के राजा इकबाल सिंह दिल्ली के मेयर और जय भगवान यादव डिप्टी मेयर चुने गए।

दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के आज हुए चुनाव में राजा इकबाल ने मेयर पद के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप सिंह को 125 वोटों से हराया। मेयर पद के निर्वाचन के लिए कुल 142 वोट डाले गए जिसमें से एक वोट अवैध घोषित किया गया।

राजा इकबाल को 133 मत प्राप्त हुए वहीं मनदीप सिंह ने आठ मत हासिल किये। इससे पहले राजा इकबाल सिंह दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर भाजपा के जय भगवान यादव डिप्टी मेयर के पद पर निर्विरोध चुने गए। जय भगवान यादव बेगमपुर, वार्ड संख्या-27 से पार्षद हैं। उनकी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार, कांग्रेस की पार्षद, सुअरीबा खान ने अपना नामांकन वापस ले लिया।

राजा इकबाल सिंह मेयर चुने जाने के बाद कहा कि दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार दिल्ली के नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने

■ **राजा इकबाल को 133 और उनके प्रतिद्वंदी, कांग्रेस के मनदीप सिंह को मात्र 8 वोट मिले। जय भगवान के सामने खड़ी प्रत्याशी कांग्रेस की अरीबा खान ने नाम वापस ले लिया।**

कहा कि शहर में स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं की दिशा में योजनाबद्ध रूप से सकारात्मक कार्य किये जायेंगे। कूड़े के पहाड़, जलभराव की समस्या के समाधान की तरफ विशेष ध्यान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में विकास को जो गति धीमी हो गयी थी उसको गति दी जायेगी और जनता के हित में बिना भेदभाव के जनहित में कार्य किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव का बहिष्कार किया और चुनाव में भाग नहीं लिया।

केन्द्र ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया

केन्द्र सरकार ने कहा कि वक्फ संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का नियंत्रण है इसलिए इन पर अंतरिम रोक न लगाई जाए

■ **केन्द्र सरकार ने कहा कि इन संशोधनों के तहत इस्लामी मान्यताओं व मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।**

का उद्देश्य केवल वक्फ संपत्ति प्रबंधन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करना है। यह धार्मिक स्वतंत्रता या इस्लामी अनुष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

केंद्र सरकार ने संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों के लिए संवैधानिकता की

कानूनी धारणा का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से अधिनियम के प्रावधानों पर अंतरिम रोक न लगाने का आग्रह किया। केंद्र के हलफनामे में स्पष्ट तौर पर कहा, यह अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक आयामों जैसे रिकॉर्ड रखने और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित है। यह किसी भी आवश्यक धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों या दायित्वों में हस्तक्षेप से बचता है। केंद्र ने ‘वक्फ-बाय-यूज’ की बूट पर चिंताओं को भ्रामक और निराधार बताया। सरकार ने स्पष्ट किया कि आठ अप्रैल, 2025 तक पहले से पंजीकृत सभी मौजूदा वक्फ भूमि पूरी तरह से संरक्षित है।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य पंजीकरण की अवधारणा

1923 से लगातार वक्फ कानूनों के तहत अस्तित्व में है। सरकार ने जोर देकर कहा कि वक्फ पंजीकरण कोई नई आवश्यकता नहीं है, संशोधन केवल नियामक है। इससे धार्मिक अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा, यह एक स्पष्ट और अनिवार्य विधायी व्यवस्था है, जो सभी वक्फों का पंजीकरण सुनिश्चित करती है।

केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने पर आपत्तियों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि ये निकाय प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष हैं और धार्मिक प्रथाओं का प्रशासन नहीं करते हैं। सरकार ने जोर देकर कहा कि उनकी भूमिका नियामक और सलाहकार की है।

इसरो के पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कस्तूर्रीरंगन के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया है। उन्होंने महान वैज्ञानिक के परिवार, उनके विद्यार्थियों, वैज्ञानिक साथियों तथा अनगिनत प्रसंसकों के प्रति दुःख की इस घड़ी में संवेदना व्यक्त की है।

मोदी ने कहा, नयी शिक्षा नीति (एनईपी) का मसौदा तैयार करने में डॉ. कस्तूर्रीरंगन की भूमिका के लिए देश सदैव ऋणी रहेगा। डॉ. कस्तूर्रीरंगन ने इस नीति में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि देश में पढ़ाई-लिखाई अधिक समग्र तथा भविष्योन्मुखी हो। उन्होंने अनेक वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं का विलक्षण रूप से पथ-प्रदर्शन किया। डॉ. कस्तूर्रीरंगन 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।वह 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत की अंतरिक्ष उल्लब्धियों के निर्माता थे।

नेशनल हैरल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को राहत

रॉउज़ एवेन्यु कोर्ट ने मनी लॉडरिंग मामले में नोटिस जारी करने से इन्कार किया

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। नेशनल हैरल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि जब तक अदालत को पूरा संतोष न हो जाए, तब तक नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कमी है।

जज ने निर्देश दिया कि ईडी पहले

वह दस्तावेज दाखिल करे, इसके बाद ही नोटिस जारी करने पर विचार किया जाएगा। अब इस मामले को अगली सुनवाई अगले शुक्रवार (2 मई) को होगी।

उल्लेखनीय है कि इसी महीने ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत अभियोजन शिकायत दाखिल की है।

ईडी ने कोर्ट से कहा कि हमारी

‘भारत और पाकिस्तान संयम बरतें’

संयुक्त राष्ट्र/नई दिल्ली, 25 अप्रैल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में बढ़ ती कड़वाहट के बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि स्थिति और न बिगड़े।

महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने गुरुवार को दैनिक प्रेस वार्ता में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा

■ **संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, दोनों देश यह सुनिश्चित करें कि स्थिति न बिगड़े।**

कि हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का दोनों देशों में से किसी के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि वह स्थिति पर बहुत बारीकी से और बहुत चिंता के साथ नजर रख रहे हैं।

दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 21 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने में बहुत स्पष्ट है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मार डाला था।

दो दिन में ही ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से ज्यादा लोग आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी पर निर्भर हैं। पहलगाम हादसे के कारण पहले ही भारी नुकसान हुआ है, बल्कि जनता में नकारात्मक छवि भी बनी है।

राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की सुर्खियों ने डर बढ़ा दिया है, जो लोग सुर्खियों में कश्मीर आने की योजना बना रहे थे, अन्य विकल्प खोज रहे हैं, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड आदि।

इसी बीच, छोटे-छोटे व्यवसायियों, सोनमर्ग के टट्टू वाले से लेकर श्रीनगर के हैंडीक्राफ्ट वालों तक, को इस नुकसान की पीड़ा महसूस होने लगी है।

लेक में हाउस बोट चलाने वाले अल्लाफ अहमद ने कहा, हम अभी ही तो महामारी के नुकसान से उबरने लगे थे। इस हमले ने हमारे भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने और पर्यटकों को आश्वासन देने के लिए त्वरित कदम उठाए। लेकिन उद्योग जगत बताता है, नुकसान खासकर मानसिक क्षति बहुत गहरी है। पर्यटकों का परेसा बहाल होने में समय लगेगा।

कश्मीर फिर से घायल है और लोग, खासकर वे, जिनकी आजीविका पर्यटकों पर निर्भर है, बड़ी दर्दनाक सवाल पूछ रहे हैं कि बंदूक के कब शॉट होंगी और पर्यटक आना कब शुरू होंगे।